न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 248 सन 2019
अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामसिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. रोशनी पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. रूपराम पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. गुडडी पुत्री रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. दर्शना पुत्री रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
8. सन्तोष पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. कमला पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. रेशमी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
11. अनचाई पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. सोना पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
13. कैकयी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
14. विनोद पुत्र स्व सावित्री पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 46/38 की कुल 12.5990है में से 1/4 हिस्सा , चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 164/167 की कुल 6.3250हैक एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 90/88 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र /पुत्रीया एवं मृतक पुत्री सावित्री के वारिसान है इसप्रकार सुरजाराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं सावित्री के पुत्र है क्योकि सावित्री का देहान्त हो चुका है।

वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ता 14 है जो सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 वादी की बहने/बुआ मृतक बहन सावित्री के वारिसान है एव सुरजाराम की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज है जो वादी के दादा है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 46/38 की कुल 12.5990है में से 1/4 हिस्सा , चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 164/167 की कुल 6.3250हैक एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 90/88 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र /पुत्रीया एवं मृतक पुत्री सावित्री के वारिसान है इसप्रकार सुरजाराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं सावित्री के पुत्र है क्योकि सावित्री का देहान्त हो चुका है।

वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ता 14 है जो सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 वादी की बहने/बुआ मृतक बहन सावित्री के वारिसान है एव सुरजाराम की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 46/38 की कुल 12.5990है में से 1/4 हिस्सा , चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 164/167 की कुल 6.3250हैक एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 90/88 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 रोही मौजा जबरासर के अनुसार वाद भूमि सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी के दादा सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है सुरजाराम पुत्र श्योलाल के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है अर्थात सुरजाराम पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

सुरजाराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया हुई सुरजाराम के पुत्र रामेश्वर का एक पुत्र रोहिताश हुआ जो लावलद फोत हो चुका है जिसके कोई भी वारिस नही है इसलिये हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र के लावल्द फोत हो जाने पर उसकी सम्पति की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी उसकी माता होगी अर्थात रोहिताश के हक हिस्सा की भूमि की उसकी माता रोशनी प्रथम श्रेणी की हकदार है इसप्रकार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार सुरजाराम पुत्र श्योलाल एवं उसके पुत्र रामेश्वर के पुत्र रोहिताश एवं पुत्री सावित्री के देहान्त होने पर सुरजाराम के जायज व कुननी वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 होना साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम बाहमी बटवारा के अनसुार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का एतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 164/167 की कुल 6.3250हैक भूमि में बंशीलाल के पास किला न0 16 ता 25 की 2.530हैक प्रतिवादी संख्या 3 रोशनी के पास किला न0 11/2 से 15/2 प्रत्येक की 0.1265हैक कुल 0.6325हैक एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पास किला न0 1 ता 10 की 2.5300हैक एवं किला न0 11/1 से 15/1 प्रत्येक 0.1265हैक भूमि रहेगी तथा रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 46/38 की कुल 12.5990हैक में से 1/4 भूमि में वादी बंशीलाल अकेला 0.9425हैक व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 0.6325हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.575हैक भूमि रहेगी तथा रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 90/88 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 दोनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तीनों खातों में सुरजाराम पुत्र श्योलाल का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/08/20.. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामसिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. रोशनी पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. रूपराम पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. गुडडी पुत्री रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. दर्शना पुत्री रामसिह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
8. सन्तोष पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. कमला पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. रेशमी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
11. अनचाई पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. सोना पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
13. कैकयी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
14. विनोद पुत्र स्व सावित्री पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 248 सन 2019 निर्णय दिनांक– 24/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 164 / 167 की कुल 6.3250हैक भूमि में बंशीलाल के पास किला न0 16 ता 25 की 2.530हैक प्रतिवादी संख्या 3 रोशनी के पास किला न0 11 / 2 से 15 / 2 प्रत्येक की 0.1265हैक कुल 0.6325हैक एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पास किला न0 1 ता 10 की 2.5300हैक एवं किला न0 11 / 1 से 15 / 1 प्रत्येक 0.1265हैक भूमि रहेगी तथा रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 46 / 38 की कुल 12.5990हैक में से 1 / 4 भूमि में वादी बंशीलाल अकेला 0.9425हैक व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 0.6325हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.575हैक भूमि रहेगी तथा रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 90 / 88 की कुल 5.5660हैक में से 1 / 4 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 दोनो बंहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तीनों खातों में सुरजाराम पुत्र श्योलाल का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner